

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6ए0/वि01-10150/2017- 623

पटना , दिनांक :- 20/3/25

सेवा में,

महालेखाकार,

वीर चंद पटेल पथ, बिहार, पटना

विषय-वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति-मांग संख्या-36-उपशीर्ष-0330-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-विपत्र कोड-36-4215011020330-विषय शीर्ष-0330.53.01-मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत 6500.00 लाख रुपये (षेसठ करोड़ रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए वर्ष 2024-25 में योजना बजट में 17100.00 लाख रुपये (एक अरब एकहत्तर करोड़ रुपये) मात्र का प्रावधान है। जिसमें 6500.00 लाख रुपये (षेसठ करोड़ रुपये) मात्र का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं/मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं/वार्ड आधारित जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र सहित) पर किया जाना है। इसके लिए बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जल जीवन मिशन को उक्त राशि उपलब्ध कराया जाना है।

3. इस योजना पर होने वाला व्यय योजना का मुख्य शीर्ष-4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-जल पूर्ति-लघु शीर्ष-102-ग्रामीण जल पूर्ति-मांग संख्या-36-उपशीर्ष-0330-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-विपत्र कोड-36-4215011020330-विषय शीर्ष-0330.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारतव्य होगा।

4. उक्त शीर्ष के तहत JJM (NRDWP) अंतर्गत स्वीकृत सभी चालू योजनाएँ तथा आवंटन आदेश संख्या- 552 (आ0), दिनांक- 20/03/2025 के आलोक में राशि निकासी की जायेगी।

5. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्र संख्या-5537, दिनांक-24-06-2015 में निहित प्रावधानों के तहत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना द्वारा की जायेगी, जो सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से राशि CFMS के माध्यम से निकासी कर, विश्वेश्वरैया भवन, कोषागार, पटना स्थित बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पी0एल0 खाता संख्या-PNBPLA006, विपत्र कोड -00-8448-00-120-0041 में अन्तरण द्वारा करायेंगे एवं चालान की एक प्रति प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना को उपलब्ध करा देंगे।

6. विषयगत राशि की निकासी की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 एवं ज्ञापांक-एम-4-09/2014-2793/वि0, दिनांक-04.04.2016 के आलोक में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के कार्यान्वयन हेतु प्रदान की गई है।

7. इस पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8. यह राशि बजट के अधीन है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

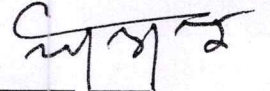

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक - 623

पटना, दिनांक - 20/3/25

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



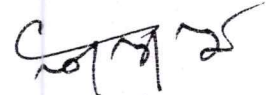
(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांक - 623

पटना, दिनांक - 20/3/25

2. वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त निदेशक, जल जीवन मिशन/प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित
4. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/मुख्य अभियन्ता (उत्तरी बिहार/दक्षिणी बिहार)/मुख्य अभियन्ता (रूपांकण)/विशेष पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/अधीक्षण अभियन्ता (मो0)/उपनिदेशक (मू0)/उप निदेशक (अन्वेषण)/बजट पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता (मो0-1/2)/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना प्रमंडल संख्या-10/सहायक अभियंता (मू0/मो0)/कार्यपालक अभियंता (मो0-II)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखाशाखा को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित/रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, पटना/आई0 टी0 मैनेजर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु)/प्रशाखा पदाधिकारी-6/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव
(मुख्यालय)